बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या : 15/खा०–10–09/2026–...../स्वा0 पटना/दिनांक –...../2026

आदेश

आमजन के स्वास्थ्य हितों के मद्देनजर मानक स्तरीय खाद्य/पेय पदार्थों की उपलब्ध बनाये रखने हेतु पटना जिला के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच, खाद्य नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं उसके जाँच फलाफल के आधार पर दोषी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

2. उक्त निदेश के आलोक में पटना जिला के होटलों, रेस्टोरेन्टों एवं E-Commerce Platform के Dark Stores का गहन निरीक्षण किया जाना है। वर्णित स्थिति में पटना जिला में स्थित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण प्रतिष्ठानों, खुदरा/थोक प्रतिष्ठानों, प्रमुख बाजारों में सघन निरीक्षण एवं निगरानी बनाये रखने हेतु मुख्यालय स्तर पर दिनांक–09.10.2026 से अगले आदेश तक छापेमारी/निरीक्षण हेतु निम्नवत् निरीक्षण दल का गठन किया जाता है:–

दल संख्या	निरीक्षण दल में शामिल पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम
1.	1. **श्री सुदामा चौधरी,** **अभिहित अधिकारी,** पटना, रोहतास, बक्सर, कैमूर, नालंदा एवं भोजपुर 2. डॉ0 सुदीन कुमार सुमन, खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना 3. डॉ0 प्रवेन्द्र कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, नालंदा एवं नवादा 4 श्री राहुल रंजन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पटना।
2.	1. **श्री मुकेश जी कश्यप,** **अभिहित अधिकारी,** मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं वैशाली 2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, सारण एवं पूर्वी चंपारण 3. श्री हरे राम यादव, खाद्य संरक्षा अधिकारी, वैशाली एवं पं० चंपारण 4. श्री कुमार गौरव, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पटना।
3.	1. **श्री जितेन्द्र प्रसाद,** **अभिहित अधिकारी,** दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर 2. **श्री अशोक कुमार सिन्हा,** **अभिहित अधिकारी,** मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर, बेगुसराय एवं बांका 3. . श्री राकेश कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, लंखीसराय एवं खगड़िया 4. श्री इंदु भूषण चौधरी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, मुंगेर
4.	1. **मो० इकवाल,** **अभिहित अधिकारी,** पूर्णियाँ, किशनगंज, कटिहार एवं अररिया 2. मो0 अली गौहर

	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुंगेर, पूर्णियाँ एवं मधेपुरा 3. जय प्रकाश गौतम, खाद्य संरक्षा अधिकारी, बक्सर एवं भोजपुर 4. श्री अनमोल कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पूर्णियाँ
5.	**1.श्री अजय कुमार,** **सहायकअभिहित अधिकारी –सह– प्रभारी अभिहित अधिकारी,** नवादा, गया, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद 2. श्री सुमन प्रकाश, खाद्य संरक्षा अधिकारी, अरवल 3. श्रीमती आभा रानी, खाद्य संरक्षा अधिकारी, जहानाबाद एवं औरंगाबाद 4. श्री नितेश कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया।

3. उक्त निरीक्षण दल संबंधित अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में उनके निदेशानुसार अगले आदेश तक पटना जिला स्थित मिष्ठान के विनिर्माण/विक्रय प्रतिष्ठानों, उत्पाद के थोक व खुदरा प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण केवल ऑनलाईन FoSCoS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों से संदिग्धता के आधार पर प्रतिष्ठान में उपलब्ध खाद्य/पेय पदार्थों के वैधानिक नमूनों का संग्रहण कर, उसकी जाँच संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना–07 या अन्य NABL मान्यता प्राप्त एवंFSSAI,नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला से कराया जायेगा। संबंधित खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी/खाद्य विश्लेषकों का दायित्व होगा कि वे उक्त अभियान के अन्तर्गत संग्रहित किये जाने वाले खाद्य प्रकार के खाद्य नमूनों की जाँच मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तथा जाँच प्रतिवेदन से संबंधित अभिहित अधिकारी एवं खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय को निर्धारित समयावधि में अवगत कराते हुए संबंधित सभी जाँच प्रतिवेदनों को InFoLNeT पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. निरीक्षण व छापेमारी के दौरान पायी जाने वाली त्रुटियों के आधार पर तथा खाद्य प्रयोगशाला/विश्लेषक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित दोषी खाद्य व्यापारी/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत बने विभिन्न नियमावलियों के संगत प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई संबंधित अभिहित अधिकारियों के स्तर से किया जायेगा।

5. निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों व निरीक्षण दल में शामिल पदाधिकारियों की सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण स्थल पर शांति/विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरीक्षण दल को आवश्यकतानुसार सशस्त्र पुलिस एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अतएव जिला पदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनुरोध है कि अभिहित अधिकारी, पटना के अधियाचना के आलोक में उन्हें आवश्यकतानुसार सशस्त्र पुलिस बल तथा दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करेंगे।

6. निरीक्षण दल हेतु पाँच बी टाईप वाहन (स्कॉपियो) की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा एवं इसका भुगतान Fssai, New Delhi द्वारा हस्तांतरित MoU के अंतर्गत D Elements/Components में Hearing of vehicles and other activity मद से किया जाएगा।

7. उक्त निरीक्षण दल में शामिल सभी अभिहित अधिकारियों को निदेशित है कि वे प्रतिदिन कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अपराह्न–04:00 बजे तक खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमित रूप से प्रतिवेदन को संकलित करते हुए खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के सूचनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा राज्यान्तर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न अभियानों तथा दैनिक कार्रवाई प्रतिवेदन को प्रेस/मीडिया में प्रसारित कराने हेतु विभाग में पदस्थापित/कार्यरत मो० अतहर, सहायक निदेशक (सूचना एवं जन–संपर्क) को नामित/प्राधिकृत किया जाता है।

8. उक्त निरीक्षण दल में शामिल सभी पदाधिकारी/कर्मी श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– नोडल पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा कार्यक्रम, बिहार, पटना के समक्ष अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगें।

9. अभिहित अधिकारी, पटना एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना को निदेशित किया जाता है कि निरीक्षण दल में शामिल सभी पदाधिकारी/कर्मी को आवश्यकता अनुरूप पेपर स्लीप एवं अन्य सहयोग प्रदान करेंगें।

10. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(धनंजय कुमार)
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 396(15B) **पटना/दिनांक** – 08/10 /2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री धनंजय कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग /श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा कार्यक्रम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी/सभी खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना–07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अभिहित अधिकारी/सहायक अभिहित अधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो० अतहर, सहायक निदेशक (सूचना एवं संपर्क) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/10/26
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना।